

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय वरदान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, छठी मंझील, एम. आय. डी. सी. नं. 16. वागले इस्टेट, थाने - 400 604.

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Vardan Commercial Complex, 6th Floor, M. I. D. C. Road, No. 16, Wagle Estate, Thane - 400 604.

सं. महा/थाने/No. MH/THN/ 204688

दिनांक / Date: 14/03/2012

सेवा में, Id. MIS ABC Comnet Put Ltd. 108, Onkar Hiranandeni I. all. Esterte, Kanjur Mong (w), Mumbai-400078

> विषय: कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 कोड संख्या का आवंटन Sub: Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions

Act 1952 allotment of code number.

	3		E	-	20
स	ы	दय	1	S	ir.
33		O'CHILD'S			200

	मेसर्स उद्योग/स्थापना अपनी सभी शाखाओं एवं विभागों सहित कर्मचारी भविष्य निधि				
1.	मं परिर्ण महोत्र अधिकार १०६२ तथा उसके अधीन निर्मित गोजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दिनांक से लायी जाती है।				
	The factory / establishment M/s. ABC Commet Put. Ltd. with all its brances and departments are brought within the purview of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from CI 03 2012				
	इसे कोड संख्या महा/थाने/ आबंटित किया गया है। इस कार्यालय के साथ होने वाले भविष्य के सभी पत्राचार में यह				
(*)	संस्था उद्धृत की जाए । A code No. M.H/THN/ has been alloted to it. This number may be quoted in all future correspondence with this office.				
2.	इस कार्यालय को उपलब्ध सूचना अनुसार -				
	As per Information available with this office -				
	(A) आपका उद्योग में आवध है जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों मे से एक है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 (3) लागू होती है ।				
	Your factory is engaged in which is one of the industries specified in Schedule I of the Act to which the Employees Provident Funds and Miscellanceous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a)				
	(B) आपकी स्थापना के रूप में वर्गीकृत है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपयन्थ अधिनियम, 1952 की				
	धारा (1) 3 (बी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिस्वना लागू की गयी है। Yours is an establishment classified as () () () () () () () () () (
3.	आपके आवेदन संस्था हिनांक के संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर यह कोड संस्था आवंटित की जाती है। यह कर्मचारी भविष्य निधि				
	ण्वं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा 4 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना का एक लोग्बेत मामला है ।				
	This code number is alloted with reference to your application No				
	Act, 1952 under section 1(4) the Act, on voluntary basis. This is pending issue of a notification by the Government of India under Sub-Section (4) of secion 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellanceous Provisions Act, 1952.				

4. यह कोड संख्या कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952. तथा इसके अन्तर्गत निर्मित योजना के उपबन्धों के अनुपालन को पूर्ण करने के उद्देश्य हेतु आबंटित की गयी है ।

The code number is alloted for the purpose of making compliance with the provisions of the Employee' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Schemes framed thereunder.

- 4. आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक से कर्मचारी भविष्य निधि योजना के उपबंधों तथा दिनांक से कर्मचारी पेंशन योजना तथा दिनांक से कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के उपबंधों को कार्यान्वित करें यदि पहले कार्यान्वित नहीं किए हैं।

 You are required to implement the provisions, of the Employee' Provident Fund Scheme
 - You are required to implement the provisions of the Employee' Provident Fund Scheme w. e. f. Ological pension Scheme w. e. f. Ological pension Scheme w. e. f. Ological if not already done.
- 5. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, के पैरा 26 के अनुसार उद्योग / स्थापना में अथवा उससे संबंधित कार्य में कार्यरत कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हेतु पात्र हैं । ठेकेदार के माध्यम से अथवा सीधे कार्यरत अस्थायी / स्थायी सभी कर्मचारीयों का नाम उनकी सेवा अवधि का विचार किए बिना दर्ज किया जायेगा ।

As provided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, an employee working in or in connection with the work of the factory / establishment shall be eligible for membership of the fund. All employees whether permanent or temperory employed directly or through a contractor are to be enrolled irrespective of their period of service.

- 6. (i) अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि प्रत्येक माह प्रत्येक कर्मचारी के लिए कोई देय भत्ता है तो कर्मचारी एवं नियोक्ता को मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, भोजन छूट के नकद मूल्य सहित तथा प्रतिधारित भत्ते का 10% / 12% की दर से अंशदान देय होगा ।
 - As per section 6 of the Act, 1952 the contributions payable by the employer and employees shall be at rate of 19% / 12% of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, it any payable to each employee, every month.
 - (ii) अंशदान की गणना मूल बेतन, मंहगाई भत्ता इत्यादि के आधार पर की जाएगी जिसका कि बास्तव में पूरे माह के दौरान भुगतान किया जाता है अथवा देय है चाहे यह प्रतिदिन हो या साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक ।

The contributions shall be calculated on the basic wags, dearness allowance etc. actually paid or payable during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

- (iii) अंशदान सम्पूर्ण रुपयों पर होगा । Contributions shall be rounded to full rupees.
- (iv) नियोक्ता प्रथमतः स्वयं द्वारा देय अंशदान का हिस्सा तथा कर्मचारी के नाम का हिस्सा दोनों ही का भुगतान करेगा।

 The employer shall in the first instance, pay both the share of contributions payable by himself and also on behalf of the employer.
- (v) ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मचारी के संबंध मे ऐसे कर्मचारी द्वारा देय अंशदान को ठेकेदार वसूल करेगा तथा प्रशासकीय प्रभार एवं अपने अंशदान की सदस्य के अंशदान की राशि सहित प्रमुख नियोक्ता को भुगतान करेगा ।
 - In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall say to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with his contributions and administrative charges.
- (vi) अपने द्वारा लगाए तथा ठेकेदार द्वारा लगाए कर्मचारी के संबंध में अपने द्वारा देव अंशदान के हिस्से तथा प्रशासकीय प्रभार के साथ अंशदान के दोनों हिस्सों को भुगतान का उत्तरदायित्व प्रभुख नियोक्ता का होगा ।
 - It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the share or contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and aslo Administrative charges.
- कर्मचारी की मजदूरी के भुगतान से पहले उसका अंशदान उसकी मजदूरी से कार्टे जिसे नियोक्ता के अंशदान तथा प्रशासनिक प्रभार सिहत प्रत्येक माह की समाप्ति के
 15 दिन के अन्दर निर्धारित चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में निधि खाते में जमा करें ।

Before paying the member his wages, the employees' contributions should be deducted from his wages which together with emplyer's contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close or every month, be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India through the pescribed challan.

(i) भविष्य निधि अंशदान कर्मचारी का पूर्ण हिस्सा तथा नियोक्ता के हिस्से के 8.33%

PF contributions (full employees' share and percentage above 8.33% of employer's share)

कर्मचारी भविष्य निधि खाता सं. 1 में जमा होना है।

To be deposited in Employee's Provident Fund Account No. 1.

(ii) प्रशासनिक प्रभार न्यूनतम 5 रु. के अधीन
Administrative charges @
(subject to a minium of Rs. 5/-)

(iii) नियोक्ता के हिस्से के 8.33% की दर से पेंशन अंशदान Pension contributions @ 8.33% of employer's share कर्मचारी भविष्य निधि खाता सं. 2 में जमा होना है ।

To be deposited in Employees

Provident Fund Account No. 2.

कर्मचारी परिवार पेंशन निधि खाता सं. 10 में जमा होना है ।

To be deposited in Employees

Pension Fund Account No. 10.

नोट : प्रशासनिक प्रभार की दर वेतन का 1.10 है जैसे, मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता-भोजन छूट के नकद मूल्य सहित प्रतिधारित भत्ता यदि कोई हो । Note : The rate of administrative charges is 1.10 percent of pay reckoned for PF contribution.

- 8. उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अंतर्गत खाता सं. 21 एवं 22 में भी निम्नानुसार राशि जमा करनी है। In addition to the above deposits, amounts in Account Nos. 21 & 22 under the Employees' Deposit linked Insurance Scheme, 1976 are also to be made in the manner indicated below.
 - (i) निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि खाता सं. 22

Deposit Linked Insurance Fund Account No. 21

(ii) बीमा निधि प्रशासन खाता सं. 22

> Insurance fund Administration Account No. 22

इस लाते में अशंदान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रत्येक माह दी जाने वाली कुल मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता यदि कोई हो, का 0.5% की दर से जमा करनी है। Payable by employer every month @ 0.5% of wages reckoned for P. F. contribution of all subscribers.

इस लाते के लिए नियोक्ता दारा प्रत्येक माह दिया जाने वाला प्रतिधारित भत्ता यदि कोई हो, मंहगाई भत्ता, भोजन छूट के नकद मूल्य सहित तथा कुल मूल मजदूरी का 0.01% की दर से प्रशासनिक प्रभार जमा करें जो प्रत्येक माह न्यूनतम 2/- रु. के अधीन है। Payable by Employer @.01% of wages reckoned for P. F. contribution of all subscribes.

- निम्नलिखित रिटर्न/प्रपत्र इत्यादि भविष्य निधि कार्यालय को निम्नवत प्रस्तुत किए जाने है : The following returns / form etc. are to be forwarded to PF office as explained -
 - (i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अन्तर्गत सं. 9 तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रपत्र सं. 3 (क. पे. यो.) Form No. 9 under the EPF scheme 1952 and 3 (EPS) under the EPS 95
 - (ii) क॰ म॰ नि॰ .योजना 1952 क॰ पें॰ योजना 1995 के अन्तर्गत प्रपत्र सं. 2 (संशोधित) Form No. 2 (revised) under the EPF Scheme, 1952 and also under EPS 95
 - (iii) प्रपन्न सं. 5 ए From No. 5A
 - (Iv) प्रपन्न सं. 3 ए From No. 3A
 - (v) प्रपत्र सं. 6 ए From No. 6A

अधिनियम/योजना के अन्तर्गत आच्छादित स्थापना/उद्योग की तिथि से बनने वाले प्रपत्र इसके सदस्यों के संबंध में उन पात्र कर्मचारियों के लिए ये प्रपत्र एक बार ही प्रस्तुत अन्तर्गत करें।

These are to be forwarded once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory/establishment is covered under the Act / Scheme.

प्रत्येक सदस्य व्दारा निधि की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इनसे दो प्रतियों में तथा लेकर तुरंत प्रस्तुत करें ।

These are to be obtained in duplicate from every members and forwarded imediately after joining the fund.

इसे तुरंत तथा जब कभी स्विमन्त्र का बदलाव हो प्रस्तुत करें।

This is to be forwarded immediately and also whenever change in ownership occurs.

इसे उस प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में प्रत्येक माह तैयार करना है जो भविष्य कार्यालय को प्रस्तुत करें । निधि का सदस्य है तथा प्रपन्न सं. 6 ए के साथ वर्ष की समाप्ति पर भविष्य निधि

This is to be maintained every month in respect of every employee who is a member of PF and forwarded to PF office at the close of the financial year along with the form 6A below.

यह अंशदान का वार्षिक रिटर्न है तथा इसे वैयक्तिक प्रपन्न सं. 3-ए के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के अंदर कार्यालय में प्रस्तत करें ।

This is the annual return of contributions and is to be forwarded to office within 30 days of the close of the every financial year alongwith individual form 3A.

- (vi) प्रयत्र सं. 12 ए From No. 12A
- (vii) प्रपन्न सं. 5 & 10 From Nos. 5 & 10

यह अंशदान का मासिक रिटर्न है तथा इसे प्रत्येक बाद की 25 तारीख तक प्रस्तुत करें । इस प्रपन्न के ताथ उपरोक्त पैरा 7 एवं 8 के अनुवार बारतीय स्टेट वैंक में जमा किए चालान की प्रतियां भी संलग्न करें ।

This is the monthly return of contributions and is to be forwarded by 25th of every month. Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India as per page 7 & 8 above are to be attached with this forms.

ये उन कर्मचारियों का रिटर्न है जो नए सदस्य यने हैं अथवा जिन्होंने माह में नौकरी छोड़ दी है। इ. ात्येक माह की 25 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करें।

These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month. This is to be forwarded to office by 25th of every month.

10.	जैसा कि ऊपर है, आपकी स्थापना/उद्योग आयंदित कोड़ संस्था महा/ है। प्रपत्र सं. 9 के अनुसार क्रायस क्या में आप सदस्यों को व्यक्तिगत
	रूप से अलब से खाता सं. आबंदित कर सकते हैं । वैयक्तिगत खाता संख्या महा/धाने//1, महा/धाने/
. 3	थाने
	चाहे उसका खाता बन्द हो गया । इस प्रकार आबंटित की गयी खाता संख्या प्रत्येक सदस्य को सूचित करें तथा वे इस संख्या को सभी पत्राचार में कार्यीलय उहद करने
	के लिए कह सकते हैं।

As stated above, the code number alloted to your factory / establishment is MH/THN

The account number for individual members may be alloted serially as it appear in form No. 9. The individual member should be prefixed by the code number alloted to the establishment. Thus the Account number of individual members will be MH/THN/ 2016/8 /3 and so on. Account number once alloted to a member should in no case be alloted to another member even after the closing of his account. The account number alloted may be intirmated to each member and to the quoted is all correspondence with this office.

11. यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निधि के रूप में देव राशि का भुगतान निर्धारित समय से किया गया है । भुगतान में की गयी विजी भी देरी के लिए धारा 7-क्यु के अन्तर्गत न्याज तथा पैरा 14-बी के अन्तर्गत नुकसान का उद्ग्रहण किया जाता है । अधिनियम अथवा योजना के उपवंधों के किसी भी उहांचन के लिए विभिन्न दण्ड विधानों को लागू किया जा सकता है ।

It is important to ensure that the amount due to the fund is paid within the prescribed time limit. Damages under para 1 4B and interest under Section 7Q are levied for any delays in making payments. Various penal provisions could also be revoked for any violation of the privisions of the Act or the Schemes.

12. इस कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी आपकी स्थापना का दौरा करेंगे । आपसे अनुरोध है कि आवश्यक सहयोग करें । अगर आपको कोई कठिनाई हो अथवा दिशा
- निर्देश चाहते हैं तो कृपया निसंकोष इस कार्यालय से संपर्क करें ।

An Enforcement Officer of this office will be visiting your establishment. You are requested to afford him necessary cooperation. If you experience any difficulty or need any guidance, please feel free to contact this office.

सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन । Assuring you all cooperation,

> भवदीय, Your faithfully,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

Reginoal Provident Fund Commissioner Maharashtra S. A. O. Thane महाराष्ट्रं उ. ले. का. थाने

> (सी. पी. माथुर) सहायक भविष्य निधि आयुवत क्षे. का., मुंबई - प. ठाणे

प्रति: 1) लेखा अनुभाग

2) प्रवर्तन अधिकारी

C.C.: 1) Cordination - It

2) Enforcement Officer